


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: कार्यालय आदेश :-

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक-प.19(13)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक - 06.10.20 के अनुसरण में श्री मोहम्मद अली, व्याख्याता (वाणिज्य) राउमावि, कूदन, जिला-सीकर की प्रतिनियुक्ति अल्पसंख्यक मामलात विभाग में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम- 144 क के तहत एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संबंधित संस्था प्रधान तत्काल कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करें।


  
(सौरभ स्वामी)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/प्रतिनियुक्ति-समसा/2020 दिनांक 9-10-2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक- संभाग कार्यालय ।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक
5. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी ।
6. संबंधित कार्मिक ।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
8. रक्षित पत्रावली ।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर